फर्द अहकाम

दामोदर व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 21/2024 (प्रा.पत्र टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी-3 मय अधिवक्ता उपस्थित। अनुपस्थित। अप्रार्थी-3 की ओर से न्यायालय समय समाप्ति तक उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस प्रा० पत्र टी.आई. सुने जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण की ओर से वाके ग्राम बीलपुरा तह-आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की खातेदारी की भूमि खा.ख.नं. 153/1, 155/1 कुल खसरा कित्ता 2 कुल रकबा 0.1800 हे. के संबंध में वाई मीट्स एंड बाउण्ड्स विधिक विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। जिसके अन्तर्गत प्रार्थीगण (वादीगण) का 1/4-1/4 हिस्सा [कुल 1/2 हिस्सा] दर्ज/निहित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त उल्लेखित भूमि के विधिक विभाजन व प्रार्थनापत्र टी.आई. के सन्दर्भ में किसी प्रकार की उज्र आपत्ति अथवा जवाब हेतु अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किए जाने के उपरान्त भी / नोटिस [illegible] के अतिरिक्त अन्य किसी भी [illegible] की ओर से न्याया[illegible] की [illegible] प्रार्थनापत्र टी.आई. [illegible] भी [illegible] खंडन अथवा भूमि के विधिक विभाजन व विधिक विभाजन होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने बाबत किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तथा	

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 16:55:54 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

दामोदर व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 21/2024 (प्रा.पत्र टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/11/24	उपस्थित अप्रार्थी-3 (प्रकरण में) द्वारा भी उपस्थिति दिनांक 25.06.24 के क्रम में अधिकतम समयावधि व्यतीत (लगभग 5 माह) हो जाने के उपरान्त भी वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का कोई मान्य/औपचारिक खंडन अथवा कोई आपत्ति भी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक उल्लेखित वाद अधीन भूमि खा.ख.नं. 153/1, 155/1 कुल खसरा कित्ता 2 कुल रकबा 0.1800 हे. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत पाबन्द फरमाया जावे। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण की ओर से स्वयं की अविभाजित खातेदारी की भूमि के विधिक विभाजन के संदर्भ में मूल वाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। साथ ही भूमि के विधिक विभाजन तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र टी.आई. प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम/संदर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.05.24 को पारित किया गया है। जिसके क्रम/संदर्भ में कोई उज्र आपत्ति अथवा कोई मान्य/औपचारिक खंडन व जवाब प्रकरण में उपस्थित अप्रार्थी-3 द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा शेष अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद विधिवत प्राप्ति नोटिस व जानकारी के न्यायालय हाजा में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। जिसके [illegible] अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित किए जा चुके हैं। अतः चूँकि किसी भी अप्रार्थी पक्ष द्वारा किसी भी मान्य स्तर पर वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का कोई मान्य/	

P.T.O.

फर्द अहकाम

दामोदर व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 21/2024 (प्रा.पत्र टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	20/11/24	औपचारिक खंडन अथवा किसी भी प्रकार की कोई अन्य आपत्ति अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में आज दिनांक तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः न्यायहित व वाद बहुलता के दृष्टिगत पूर्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.05.24 को तारफैसला मूलवाद स्थाई किया जाकर उभयपक्षकारान को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम बीलपुरा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि ख.नं. 153/1, 155 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.1800 हे. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। विरासत नामांतकरण के संदर्भ में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:55:54 IST
Reason: SelfAttested